International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

समकालीन भारतीय समाज में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति : तीन तलाक–प्रथा के संदर्भ में

Madhu Bansal[1], Dr. Mukesh Kumar Yadav[2], Dr. Rajbir Singh[3]

Phd Research Scholar,Singhania University, Pacheri Beri, Jhunjhunu Rajasthan.
Supervisor, Singhania University, Pacheri Beri, Jhunjhunu Rajasthan.
Co- Supervisor, G.G.D.S.D. College, Palwal, Haryana.

सार

समाज में महिला की स्थिति के आधार पर समाज के विकास को रेखांकित किया जा सकता है। विश्व की सम्पूर्ण जनसँख्या में महिलाओं की आधी भागीदारी है। फिर भी, महिलाओं को समाज में निम्न स्थान दिया जाता है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में समय–समय पर अनेक परिवर्तन हुए है और समाज में उनकी स्थिति का मूल्यांकन विभिन्न आधार पर हुआ है जैसे शिक्षा, आर्थिक संसाधनो पर नियन्त्रण, श्रम–भागीदारी, निर्णय लेने की क्षमता का प्रयोग व स्वतंत्रता, लैंगिक–भेदभाव का न होना, धार्मिक रूढियों एवम् कुप्रथाओं की अनुपस्थिति, परिवार में स्थान आदि। भारत में प्रत्येक समुदाय अपने व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार विवाह एवं तलाक, सम्पति, विरासत, अभिभावकता, गोद लेने से सम्बन्धित नियमों का निर्धारण करता है। व्यक्तिगत कानून के अंर्तगत आने वाले विषयों में निहित किसी एक मानदंड के आधार पर महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में विभिन्न समुदायों से सम्बंधित महिलाओं की स्थिति अलग–अलग है। यह विभिन्नता इस पर निर्भर करती है कि महिला पर किस समुदाय विशेष का व्यक्तिगत कानून लागू होता है।मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अन्य जाति, धर्म और समुदाय की महिलाओं से भिन्न है। प्रस्तुत शोध–पत्रमें मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का अध्ययन तीन तलाक–प्रथा के रूप में मुस्लिम समाज में व्याप्त लैंगिक–असमानता, धार्मिक–रूढियों एवम् कुप्रथाओं की उपस्थिति, परिवार में स्थान के आधार पर किया है।

शब्द–कुंजी–लैंगिक–भेदभाव, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, मेहर, पितृसत्ता, जेंडर

प्रस्तावना

पुरुष और महिला मानव– समाज रुपी गाड़ी के दो पहिये है, जिनके सामंजस्य से ही किसी भी समाज की उन्नति संभव है। लेकिन समाज में जैविक विभिन्नता के आधार पर महिला पुरुष के क्रियाकलाप और स्थिति निर्धारित कर दी गई है जिसमें परिवार और घर सँभालने का उत्तरदायित्व महिला का है तथा जीविका कमाना व शासन–प्रशासन में भाग लेने का उत्तरदायित्व पुरुष का है। यहीं वह बिंदु है, जहाँ से महिला एवं पुरष के कार्यक्षेत्र निर्धारित हो जाते है और पुरुष महिला के ऊपर अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर, उसकी स्थिति को निर्धारित कर देता है। वस्तुतः जेंडर उन तरीकों की ओर संकेत करता है जिनके आधार पर समाज में महिला –पुरुष के बीच विभेद किया जाता है। **एनन ओकले** मानती है कि जेंडर संस्कृति से सम्बंधित है और समाज ही लैंगिक– विभेद का निर्माण करता है। संस्कृति सामाजिक व्यवहार सीखने का तरीका है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। इस प्रकार महिला पुरुष के बीच जेंडर विभेदीकरण भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। विभिन्न धार्मिक रीतियाँ, रिवाज, परम्पराएँ तथा धार्मिक मान्यताएँ भी संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्व भूमिका निभाते है इसलिए ''सभी धर्मों में

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है और यह माना जाता है कि उन्हें पुरुष की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए।''[1]

''विश्व के ज्यादातर देशों की महिलाएँ भेदभाव का शिकार होती आयी हैं, सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखी जाती रही हैं, वंचित और अधिकार–विहिन रही हैं। इसका कारण पितृसत्ता का प्रचलन है, यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है, जहां संसाधनों पर, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर और विचारधारा पर पुरुषों का नियंत्रण होता है। जेंडर संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रत्येक तीन में से एक महिला हिंसा की शिकार होती है। पूरी दुनिया में जारी यह सबसे बड़ी लड़ाई है, और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़ाइयां परिवार के भीतर लड़ी जाती हैं।''[2]भारत में भी महिलाओं की स्थिति को लेकर सिद्धान्त और व्यवहार में काफी अन्तर है। भारतीय समाज में प्रचलित अधिकांश परम्पराएँ, रीति–रिवाज तथा धार्मिक अनुष्ठान व मान्यताएँ महिला पर पुरूषों का आधिपत्य स्थापित करने का साधन है। महिला हमेशा पुरुष के प्रति कृतज्ञ और आज्ञाकारी बनी रहें इसके लिए मुस्लिम पुरुषों के पास तीन तलाक के रूप में एक ऐसा साधन है जिसके प्रयोग के भय–मात्र से महिला सहज ही पुरुष की आधीनता को स्वीकार कर लेती है। धार्मिकता के नाम पर इसका पालन करने के लिए महिला को विवश किया जाता है। पुरूष अपने हितों की पूर्ति के लिए और महिलाओं उत्पीडन को वैधता प्रदान करने के लिए धर्म को विकृत कर देते है।

भारत में प्रत्येक धार्मिक के व्यक्तिगत कानून है और प्रत्येक समुदाय अपने व्यक्तिगत कानूनों से प्रशासित होता है। इन व्यक्तिगत कानून के अनुसार ही सम्पति, विरासत, अभिभावकता, गोद लेने से सम्बन्धित नियमों का निर्धारण किया जाता है, ये कानून विवाह एवं तलाक के सम्बन्ध में भी महिला स्थिति को प्रभावित करते है। व्यक्तिगत कानून के इन मामलों में निहित किसी एक मानदंड के आधार पर महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में विभिन्न समुदायों से सम्बंधित महिलाओं की स्थिति अलग–अलग है। यह विभिन्नता इस पर निर्भर करती है कि महिला पर किस समुदाय विशेष का व्यक्तिगत कानून लागू होता है। विभिन्न धार्मिक समुदायों में मान्य तथा प्रचलित तलाक की वैधानिक प्रक्रिया तथा परम्परागत प्रथाओं का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा सबसे अधिक महिला–विरोधी प्रथा है जो यह दर्शाती है कि मुस्लिम समाज में लैंगिक –भेदभाव, रूढियों एवम् कुप्रथाओं की उपस्थिति है।

''भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का अर्थ यह नहीं है कि सभी समुदायों में स्त्रियों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति एक समान है।जहाँ तक मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न है, सैद्धान्तिक रूप से उन्हें अनेक ऐसे अधिकार प्राप्त है जो स्वतन्त्रता से पहले तक हिन्दू स्त्रियों को प्राप्त नहीं थे''[3] जैसे– विवाह के लिए स्वतंत्र सहमति, मेहर –राशि का निर्धारण, सम्पति का अधिकार। समय के साथ ''मुस्लिम–समाज में भी अनेक परिवर्तन हुए परन्तु इन परिवर्तनों ने मुस्लिम महिलाओं के परम्परागत अधिकारों को कम कर दिया है। मेहर की राशि उनकी सामाजिक सुरक्षा का एक साधन थी, उसे केवल एक प्रतीक के रूप में निर्धारित किया जाने लगा। मुस्लिम कट्टरपंथी पुरूषों द्वारा महिला की आर्थिक स्वतन्त्रता को इस्लाम के विरूद्ध मानने की कारण आज भी मुस्लिम महिलाएँआर्थिक रूप से पुरूषों पर निर्भर है। सामाजिक नियमों द्वारा पुरूष को प्राप्त बहु– विवाह तथा तलाक के एकतरफा अधिकार के कारण महिलाएँ साधारणतया पुरूषों के विभेदकारी व्यवहार का विरोध नहीं कर पाती। कुछ जागरूक और प्रगतिशील मुस्लिम स्त्रियों द्वारा तलाक की दशा में पति से भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने के अधिकार का भी विरोध होने के कारण उनके कानूनी अधिकार का अस्तित्व खतरें में पड़ता जा रहा है।''[4]

[1]तान्या मोहन्ती(2008). 'जेण्डर संस्कृति एवं इतिहास'. तपन बिस्वाल (सम्पा). मानवाधिकार जेंडर एवं पर्यावरण. दिल्ली : वीवा बुक्स प्रा लि. पृ 229–233.
[2]कमला भसीन(2016). ''भारतीय संदर्भ में नारी सशक्तीकरण''. योजना. सितम्बर पृ 9.
[3]तरन्नुम युसुफ (2017). 'भारतीय मुस्लिम महिलाओ का सामाजिक अध्ययन'. इनोवेशन द रिसर्च कॉन्सेप्ट. अंक 9. (2). पृ 162.
[4] तरन्नुम युसुफ (2017). 'भारतीय मुस्लिम महिलाओ का सामाजिक अध्ययन'. इनोवेशन द रिसर्च कॉन्सेप्ट. अंक 9. (2). पृ 162.

इस्लाम में महिलाओं की स्थिति

मुस्लिम समाज का पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन धर्म के साथ गुंथा हुआ है। भारतीय मुस्लिम समाज में परिवारिक– क्षेत्र अर्थात् विवाह, तलाक, विरासत, सम्पति, अभिभावकता आदि से सम्बन्धित विषयों का प्रबन्ध ''कुरान तथा शरीयत के नियमों'' के आधार पर होता है इसलिए मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर तीन तलाक–प्रथा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिएयह जानना आवश्यक है कि इस्लाम में महिलाओं की स्थिति क्या है? इस्लाम सैद्धान्तिक रूप से लैंगिक–न्याय और महिला–पुरूष के बीच समानता के सिद्धान्त पर बल देता है। इस्लाम महिला को बौद्धिक तथा आध्यात्मिक रूप से पुरूष के समकक्ष मानता है। **मौलाना वाहिउद्दीन खान** कहते है कि ''मनुष्य होने के नाते महिला व पुरूष समान है। उनके बीच अधिकारों के संदर्भ में कोई भेदभाव नहीं है। इस्लाम केवल शारीरिक आधार पर महिला और पुरूष के बीच अंतर करता है ताकि दोनों के मध्य न्यायसंगत श्रम–विभाजन किया जा सकें।''[5]**उमर हयात खान गौरी** के अनुसार ''इस्लाम विवाह के बाद महिला के व्यक्तित्व को पुरूष में विलीन नहीं करता, बल्कि विवाह के बाद भी महिला के व्यक्तित्व को मान्यता देता है। इस्लाम पति और पत्नी दोनों को एक–दूसरे का जीवन साथी करार देता है।''[6]मुस्लिम महिलाओं के कुरान–प्रदत्त अधिकारों को निम्नांकित रूप से संक्षेपित किया जा सकता है, जो समाज में उनकी स्थिति को निर्धारित करते है:–

- समाज में अपनी पहचान और व्यक्तित्व रखने का अधिकार।
- अपनी पसंद के पुरुष से विवाह करने और जबरदस्ती विवाह से इंकार करने का अधिकार।
- माता–पिता और अन्य रिश्तेदारों से विरासत का अधिकार।
- उस संपत्ति को प्राप्त करने या बेचने का अधिकार जो उसके पास कानूनी रूप से है।
- स्वयं की संपत्ति खरीदने का अधिकार।
- पति से भरण–पोषण और मुआवजा मांगने का अधिकार।
- विवाह के पश्चात् शादी की देखभाल करने का अधिकार।
- उचित आधार पर स्वयं तलाक लेने का अधिकार।

शोध–पत्र के उद्देश्य के अनुसार यह विश्लेषण करना प्रासंगिक है कि इस्लाम, विशेषतया, तलाक की स्थिति में मुस्लिम महिला के हितों एवम् अधिकारों को किस प्रकार सरंक्षित करता है? तलाक की स्थिति में, इस्लामिक नियम महिला के अधिकारों को निम्न प्रकार से सरंक्षण प्रदान करते है :–

1. मुस्लिम पति को अपनी पत्नी को तलाक देने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो तीन महिने अर्थात् नब्बे दिन में पूरी होती है।
2. शरियत के अनुसार, पति को गवाहों के सामने या कम से कम पत्नी की उपस्थिति में 'तलाक' शब्द का उच्चारण करना चाहिए।
3. पुरूष द्वारा तलाक की घोषणा महिला की तुहर में की जानी चाहिए।
4. तलाक की घोषणा अधिकतम तीन बार की जा सकती है। इसके बाद तलाक अपरिवर्तनीय हो जाता है और विवाह सदैव के लिए समाप्त हो जाता है।

[5]मौलाना वाहीउद्दीन खान (1995). वीमेन इन इस्लामिक शरीया., प्रथम संस्करण, नई दिल्ली :द इस्लामिक सेंटर.
[6] गौरी, उमर ह्यात खान (2010). इस्लाम मे ं औरत का स्थान और मुस्लिम पसर्नल लॉ पर ऐतिराज़ात की हकीकत. नई दिल्ली : मर्कज़ी मक्तबा़ इस्लामीपब्लिशर्स. पृ.सं. 58–59.

5. तलाक की प्रत्येक घोषणा महिला की तुहर में ही की जानी चाहिए अर्थात् तलाक की प्रत्येक घोषणा के बीच लगभग एक महिने का अंतराल होना चाहिए।
6. तलाक की घोषणा से पूर्व मध्यस्थों के माध्यम से पति–पत्नी के बीच सुलह–समझौते के प्रयास अवश्य किए जाने चाहिए।
7. इद्दत की अवधि के दौरान महिला को अपने पति के घर में रहने तथा उससे भरण–पोषण पाने का अधिकार है। संभावना हो सकती है कि इस दौरान दम्पति के बीच सुलह हो जाए।
8. यदि निकाह के वक्त महिला को मेहर अदा नहीं की गई है तो निकाह के बाद इसे अदा कर देना चाहिए। तलाक के पश्चात् महिला को अपना मेहर प्राप्त करने का अधिकार है।
9. निकाह के वक्त या निकाह के बाद मिलें उपहारों और धनराशि पर महिला का अधिकार होता है और तलाक के बाद भी उसे इन्हें प्राप्त करने का अधिकार होता है।
10. इस्लाम के अनुसार तलाकशुदा दम्पति एक–दूसरे से पुनःविवाह कर सकते है। महिला को अधिकार है कि वह पूर्व–पति से पुर्नविवाह के लिए इंकार कर सकती है।

''सभी धर्मों में महिलाओं पुरूषों की दासी मानते हुए उन्हे दोयम स्थिति में धकेला गया है। **जे.एल. ऑस्टिन**कहते है– निकाह में सैद्धांतिक रूप से महिला को भी पुरूष के समान दरजा प्राप्त है, पुरूष का प्रस्ताव वह स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती हैं। लेकिन एक बैठक में तीन तलाक के द्वारा निकाह–अनुबन्ध को एकपक्षीय तरीके से तोड दिया जाता है। सबसे दुखद यह है कि तीन तलाक इस निकाह–अनुबन्ध को एक पदानुक्रमिक लाभ दे देता है जो पुरूष को मालिक की हैसियत प्रदान करता है जबकि महिला को दासी की। इस तरह महिला को उसके इस्लामिक और नागरिक अधिकारों से वंचित कर देता है तथा उसे मानव होने की स्थिति से गिराकर वस्तु–मात्र बना देता है।''[7]भारतीय मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा कुरान में वर्णित तलाक से सम्बंधित प्रत्येक निर्देश का उल्लंघन करती है सिवाय इसके कि एक समय में तीन बार तलाक देने से विवाह सदैव के लिए अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त हो जाता है। इस प्रथा से मुस्लिम महिला के इस्लामिक अधिकारों का उल्लंघन निम्न प्रकार से होता है :–

1. एक बैठक में तीन बार तलाक करने से विवाह तुरंत समाप्त हो जाता है, इससे अलगाव से पूर्व महिला के मध्यस्थता और सुलह – समझौता करने के इस्लामिक अधिकार का हनन होता है।
2. पुरुष द्वारा तलाक की घोषणा महिला की तुहर में की जानी चाहिए। परन्तु एक बैठक में तीन बार तलाक का उच्चारण कभी भी किया जा सकता है।
3. तत्काल तीन तलाक महिला के मासिक–धर्म में भी दिया जा सकता है जबकि पैगंम्बर मुहम्मद ने मासिक–धर्म के दौरान तलाक की घोषणा करने पर पत्नी को वापस लेने का आदेश दिया था।
4. इस्लाम के अनुसार महिला को तीन महीने दस दिन की इद्दत की अवधि तक पति के घर में रहने का अधिकार है और ''इस अवधि का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है।''[8] लेकिन जब पुरूष एक समय में तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक–सम्बन्ध खत्म देता है तो पत्नी को तुरंत पति का घर छोड़ना पड़ता है। और इद्दत की अवधि कहीं दूसरी जगह रहकर पूरी करनी पड़ती है।
5. तीन तलाक देने के बाद पुरूष इद्दत–अवधि में तलाकशुदा पत्नी के भरण–पोषण की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जबकि इस्लाम के अंर्तगत मुस्लिम महिला को इद्दत के दौरान अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है।
6. पुरूष तीन तलाक देने के बाद महिला को मेहर की रकम अदा नहीं करते और उसका स्त्रीधन भी वापस नही करते।

[7]हस्तक्षेप राष्ट्रीय सहारा. 3 अगस्त 2019.
[8]देखें, कुरान की आयत65:1, मौलाना वहीदुद्दीन खान. पवित्र कुरान.

7. तीन तलाक गवाह यहाँ तक कि पत्नी की अनुपस्थिति में भी दिया जा सकता है।
8. इस्लामिक नियमों के अनुसार तलाक के अधिकार का प्रयोग अपरिहार्य परिस्थिति में ही किया जा सकता है परन्तु वर्तमान समय में पुरूष क्षणिक आवेश में या छोटी–छोटी बात पर तीन तलाक बोलकर निकाह को तुरंत समाप्त कर देते है।
9. इस्लाम के निर्देशों के विपरीत, तलाकशुदा पत्नी पर पूर्व–पति से पुनर्विवाह करने के लिए निकाह–हलाला करने का दवाब डाला जाता है।
10. इस्लामिक नियम में पिता की सम्पति में महिला को भी हिस्सा मिलता है, परन्तु शायद ही यह अधिकार महिलाओं को मिलता हो। विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज को ही उनका हिस्सा मान लिया जाता है। तत्काल तलाक की घोषणा करने के बाद पुरूष महिला का दहेज़ वापस नहीं करते। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से महिला के सम्पति के अधिकार का उल्लंघन होता है।

एक बैठक में तीन तलाक मुस्लिम महिला की स्थिति को निम्न रूप से प्रभावित करता हैः–

तीन तलाक के बाद भरण–पोषण–शरीयत के अनुसार तलाक की स्थिति में, मुस्लिम पुरूष तलाकशुदा पत्नी का इद्दत (3 महीने और 10 दिन) की अवधि तक भरण–पोषण के लिए उत्तरदायी है। लेकिन तीन तलाक देने के बाद मुस्लिम पुरूष इद्दत के दौरान भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण व्यवस्था नहीं करता। मद्रास उच्च न्यायालय की वकील श्रीमती बदर सैयद के मतानुसार पुरूष तत्काल तलाक को एक हथियार के रूप में प्रयोग करते है ताकि इद्दत की अवधि तक तलाकशुदा पत्नी के भरण– पोषण की व्यवस्था करने से बचा जा सकें। इस प्रकार तीन तलाक के बाद मुस्लिम महिला की स्थिति पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर होती है।

मेहर की रकम –एक बैठक में तीन बार तलाक का उच्चारण करके विवाह भंग करने के अधिकांश मामलों में महिला को मेहर का भुगतान नहीं किया जाता। अधिकांश मामलों में पंचायत या कज़ा के निर्देश के बावजूद पुरूष मेहर का भुगतान नहीं करते। तलाकशुदा भारतीय मुस्लिम महिला शहनाज़ शेख के अनुसार ''अहमदाबाद के छीपी समाज की महिला को पिछले कई सालों से केवल तीन रूपए पचास पैसे मेहर मिलता है।''[9] इस न्यूनतम मेहर से न तो पति द्वारा तलाक देने पर नियंत्रण रखा जा सकता है और न ही इसे तलाकशुदा महिला के जीवन–निर्वाह के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। ऐसी अवस्था में यदि बच्चों की जिम्मेदारी भी महिला के पास होती है तो उसकी स्थिति और भी शोचनीय हो जाती है।

पुनर्विवाह– भारत में तलाक के बाद महिलाओं के बीच पुनर्विवाह की दर कम है। तीन तलाक के बाद महिलाओं का पुनः विवाह आसान नहीं होता। एक ओर उनके लिए उपयुक्त वर उपलब्ध नहीं होते, दूसरी ओर पुनर्विवाह करने वाले पुरुष अक्सर उन महिलाओं से शादी करना पसंद करते है जो उम्र में छोटी हो और जिनपर पूर्व विवाह के बच्चों की जिम्मेदारी न हो।एक बार तीन तलाक की यांत्रणा झेल चुकी महिला स्वयं भी पुनर्विवाह करने की हिम्मत नही जुटा पाती। 2011 की जनगणना आंकड़ें भी यह दर्शाते है कि मुस्लिम समाज में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या तलाकशुदा पुरूषों की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा है। यह अंतर स्पष्ट करता है कि अधिकांश मुस्लिम पुरूषों का पुर्नविवाह हो जाता है लेकिन तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का दोबारा विवाह नहीं हो पाता।

सामाजिक पूर्वाग्रह–भारतीय परिप्रेक्ष्य जिन महिलाओं का अपने पति से अलगाव हो जाता हैं, उनके लिए समाज के पूर्वाग्रहों का सामना करना कठिन होता है। अकेली महिलाओं चाहे विधवा हो, तलाकशुदा हो या अविवाहित हो उनसे सामाजिक लांछन जुड़ा होता है, जो भारत में महिलाओं की निम्न स्थिति का एक कारण है। तलाकशुदा महिला परिवार का समर्थन मिलने के बावजूद यह अनुभव करती हैं कि पुरुष के बिना उनका जीवन अधूरा है। दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा कहती है– ''भारत में शादी को अनिवार्य माना जाता है तथा अकेली औरत को शक की निगाहों से देखा जाता है। अकेली माओं को पूर्वाग्रह व उत्पीडन का सामना करना पडता है, चाहें वे परित्यक्ता या तलाकशुदा

[9]समान नागरिक संहिता – एक परिचर्चा. (2017). नई दिल्लीः सुरूचि प्रकाशन. पृ 120.

हो।''[10]हमारे देश एक बैठक में तीन बार तलाक उच्चारने का दोषी भी महिला को माना जाता है। भारतीय समाज में अकेली महिला को हमेशा ताने दिए जाते हैं अथवा सामाजिक रूप से बहिष्कृत माना जाता है, मुस्लिम समाज भी इससे अछूता नहीं है।

मानसिक आघात–तलाक यातनापूर्ण वैवाहिक–सम्बन्धों से बाहर निकलने का तरीका है, लेकिन तत्काल तलाक के माध्यम से विवाह का समाप्त होना मुस्लिम महिला के लिए सबसे भयानक स्थिति होती है जिसके परिणामस्वरूप महिला को भावनात्मक और मानसिक क्षति पहुचती है। तीन तलाक इतना आकस्मिक होता है कि महिला इस स्थिति का सामना नहीं कर पाती और अवसाद, क्रोध, कम आत्मसम्मान और भविष्य की चिंता से ग्रस्त हो जाती है।महिला इस आघात को जीवन–भर नहीं भूल पाती।

जीवन–निर्वाह में कठिनाई –आर्थिक रूप से, तलाक महिला की स्थिति को प्रभावित करता है। तीन तलाक इतना आकस्मिक होता है कि महिला एक ही पल में वह आधीनता की स्थिति में आ जाती है। एक ओर तीन तलाक के बाद मुस्लिम महिला को पूर्व पति से जीवन–निर्वाह के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती दूसरे ओर, वे इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि तुरंत कमाऊ सदस्य बन सकें और बच्चों का प्रबंधन कर सकें। एकल माताओं के लिए बाजार और घरेलू काम के बीच संयोजन बैठाना अत्यंत कठिन होता है। तत्काल तलाक के परिणामस्वरूप महिलाओं को घर संभालने और कमाने दोनों जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है।

निकाह हलाला –तत्काल तीन तलाक के मामलों का विश्लेषण करने से यह प्रकट होता है कि तत्काल तीन तलाक कारण पुरूष का क्षणिक आवेश भी था जिसमें पारिवारिक–विवाद उत्प्रेरक का काम करते है। कुछ समय बाद गुस्सा शांत होने पर यदि पुरूष पूर्व पत्नी को निकाह में वापस लेना चाहें तो, महिला को हलाला की प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तीन तलाक के अधिकतर मामलों में समाज, परिवार और बच्चों का हवाला देकर महिला पर हलाला की प्रक्रिया का पालन करने के लिए दवाब बनाया जाता है। एक अन्य महिला का कहना था कि हलाला के बाद पूर्व पति के पास वापस जाने वाली महिलाओं को ससुराल में पहले जैसा सम्मान नहीं मिलता और ताने सुनने को मिलते है। इस प्रकार तीन तलाक के बाद जिन महिलाओं को हलाला से गुजरना पड़ता है या इसके दवाब का सामना करना पड़ता है, उन महिलाओं की शारीरिक और मानसिक स्थिति को गहरा आघात लगता है। उसके आत्म–सम्मान, गरिमा और विश्वास को ठेस पहुँचती है।

निष्कर्ष

भारत में किसी भी अन्य सामाजिक–धार्मिक समुदाय की तुलना में मुस्लिम समुदाय में धार्मिक रूढियाँ तथा परंपरागत कुप्रथाएँ व्याप्त है जो लैंगिक–असमानता को बढावा देती है और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर गहरा प्रभाव डालती है।इस्लाम में महिलाओं कों पुरूष के समान ही अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में भी मुस्लिम महिलाओं को कानून के समक्ष समानता तथा समान कानूनी संरक्षण का अधिकार है। भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 125 के अतंर्गत किसी भी धर्म की महिला, तलाक की स्थिति में अपने पति से भरण–पोषण का दावा कर सकती है। इन संरक्षणों के बाद भी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों से शासित होने के कारण मुस्लिम पुरूष कभी भी एकतरफा तथा मनमाने तरीके से तीन तलाक बोलकर महिला को तलाक दे सकता है जबकि मुस्लिम महिला को विवाह–विच्छेद के लिए न्यायालय या शरीयत कोर्ट जाना पड़ता है। तीन तलाक की स्थिति में एक ओर, मुस्लिम महिलाएँ अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती तो दूसरी ओर इस्लामिक व्यवस्था भी उनकी हितों की रक्षा नहीं कर पाती। मुस्लिम समाज में लैंगिक–असमानता तथा लैंगिक रूढियों के कारण तीन तलाक–प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का शोषण हो रहा है और उनकी स्थिति शोचनीय है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 द्वारा तीन तलाक–प्रथा पर प्रतिबंधित करने का मुस्लिम महिला की स्थिति पर प्रभाव भविष्य के गर्भ में है।

[10]बी.बी. चौधरी, एस. जार्ज मानव अधिकार (2009). लिंग एवम्.पर्यावरण. नई दिल्ली : श्री महावीर बुक डिपो. पृ 335.